न्यूज़ टुडे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO/ इसरो) ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के विकास में बड़ी सफलता हासिल की

ISRO ने **पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA) इंजन** का पहला सफल हॉट टेस्ट **तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स** में किया।

- यह **प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3) के सेमी-क्रायोजेनिक बूस्टर चरण** को शक्ति प्रदान करेगा।
  - LVM3 वस्तुतः **तीन-चरणों वाला** प्रक्षेपण यान है। इसमें **दो ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स (S200), एक लिक्विड कोर चरण (L110) और एक हाई-थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर चरण (C25)** शामिल हैं।

इस परीक्षण के बारे में

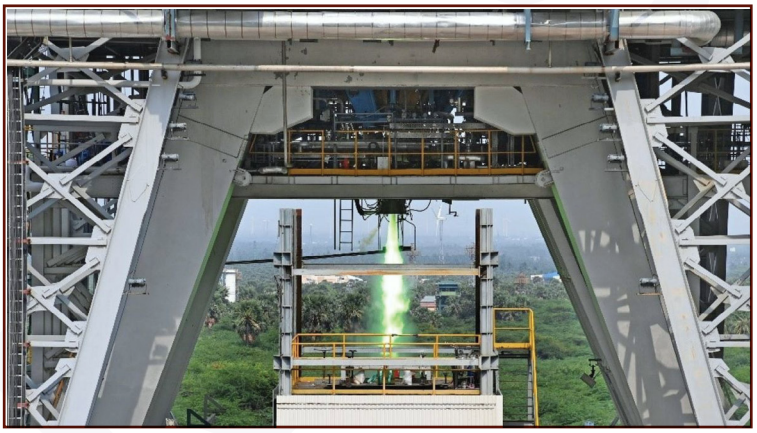

- यह चरण **2,000 kN (किलोन्यूटन) अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन (SE2000)** द्वारा संचालित होगा। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों की **पेलोड क्षमता बढ़ेगी और यान का बूस्टर स्टेज संचालित** होगा।
  - गौरतलब है कि यह इंजन **LVM3 के मौजूदा लिक्विड कोर स्टेज (L110) की जगह** लेगा।
- इस इंजन में **गैर-विषाक्त और गैर-खतरनाक प्रणोदकों (तरल ऑक्सीजन और केरोसिन)** का उपयोग किया गया है।
- **सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली और उन्नत क्रायोजेनिक चरण** के चलते LVM3 यान की **भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षाओं (GTO)** में पेलोड ले जाने की क्षमता **4 टन से बढ़कर 5 टन** हो जाएगी।

इसरो के सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के बारे में

- इसरो एक **2000 kN थ्रस्ट** वाला सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। यह **तरल ऑक्सीजन (LOX) और केरोसिन प्रणोदक** के मिश्रण से संचालित होगा।
- इसका उद्देश्य **LVM3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट प्रदान** करना है।
- इसरो का **लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC)** अन्य प्रक्षेपण यान केंद्रों के सहयोग से सेमी-क्रायोजेनिक प्रणाली का विकास कर रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की

महाराष्ट्र ने **मृत्युदंड** की सजा पाए दोषियों की **दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक समर्पित सेल** की स्थापना की है।

- महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2024)** का पालन करता है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा **सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** को दया याचिकाओं पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने **गृह/ जेल विभागों** के भीतर समर्पित इकाइयां गठित करने का निर्देश दिया गया था।

दया याचिका (Mercy Petition) के बारे में

- न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद, दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका (mercy petition) दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपने सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है।
- दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की **विवेकाधीन** शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का **कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी** ही चाहिए।
- दया का उपयोग **क्षमादान की शक्ति** के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ़ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।

क्षमादान की शक्ति

- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)**
  - **क्षमा (Pardon):** सजा से पूर्ण मुक्ति।
  - **विराम (Respite):** दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना।
  - **स्थगन (Reprieve):** कुछ समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है।
  - **परिहार (Remit):** सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है।
  - **लघुकरण (Commute):** सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति** कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है।
- **राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये **मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं।**
- **मारू राम बनाम भारत संघ मामले (1980)** में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि **राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह** पर कार्य करते हैं।

एक अमेरिकी फर्म को भारत में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली

संयुक्त राज्य अमेरिका ने **होलटेक इंटरनेशनल** नामक एक अमेरिकी कंपनी को भारत में **परमाणु रिएक्टर डिजाइन और निर्माण** करने की अनुमति दी है। यह मंजूरी **'10CFR810' नामक अमेरिकी प्रतिबंधात्मक विनियम** के तहत दी गई है। यह विनियम परमाणु तकनीक के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

- यह होलटेक को **तीन भारतीय निजी कंपनियों को अवर्गीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक** हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। मंजूरी **10 वर्षों तक के लिए वैध होगी** और **हर 5 साल में इसकी समीक्षा** की जाएगी।
- इस तकनीक का उपयोग **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों** के अधीन केवल **'शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों'** के लिए किया जाएगा। इसका **किसी भी सैन्य उद्देश्य** के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)

- ये **उन्नत परमाणु रिएक्टर** हैं, जिनकी **विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट (MW) प्रति यूनिट** तक होती है।
- **लाभ:**
  - **कम ईंधन की आवश्यकता:** SMR-आधारित विद्युत संयंत्रों को **हर 3 से 7 साल में ईंधन की जरूरत** होती है, जबकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को **हर 1 से 2 साल में ही ईंधन** की आवश्यकता पड़ जाती है।
  - **अनुकूलनशीलता:** SMR को अधिक या कम बिजली की आपूर्ति के अनुसार **व्यवस्थित** किया जा सकता है। इससे यह विविध ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
  - **सुरक्षा सुविधाएं:** SMR डिजाइनों में निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे ये अधिक सुरक्षित होते हैं।
    - **"पैसिव सेफ्टी" या "निष्क्रिय सुरक्षा"** उन सुरक्षा सुविधाओं को संदर्भित करती है, जो स्वचालित रूप से काम करती हैं। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है।

इस अनुमति का महत्त्व:

- **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (2008) को मजबूत करना:** इससे भारत में **वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं** को बढ़ावा मिलेगा।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देना:** इससे भारत की निजी कंपनियों को SMRs विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे भारत की परमाणु क्षमता बढ़ेगी।
- **भारत की परमाणु विशेषज्ञता को बढ़ाना:** यह स्वदेशी SMR विनिर्माण को बढ़ावा देगा और **वैश्विक SMR बाजार** में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा।

परमाणु क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के समक्ष चुनौतियां

- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010:** यह कानून विदेशी कंपनियों को भारत के परमाणु क्षेत्रक में निवेश करने पर पाबंदी लगाता है।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962:** यह केवल **राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों** को ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देता है। यह कानून **निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति नहीं** देता है।

केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा (AFSPA) लागू रहने की अवधि में वृद्धि की

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों **मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को और छह माह** के लिए बढ़ा दिया है।

- विद्रोहियों/ उग्रवादियों से निपटने और मौजूदा **नृजातीय हिंसा को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने** के लिए AFSPA लागू रहने की अवधि बढ़ाई गई है।

अफस्पा/ AFSPA के बारे में:

- यह कानून सशस्त्र बलों को **"अशांत क्षेत्रों" (Disturbed areas) में लोक-व्यवस्था** बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **अफस्पा की धारा 3 के तहत** 'अशांत क्षेत्र' तब घोषित किया जा सकता है, जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) का कोई हिस्सा या पूरा हिस्सा ऐसी स्थिति में हो कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाए।
  - **केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल या केंद्र-शासित प्रदेश का प्रशासक** किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कुछ या संपूर्ण क्षेत्र को **"अशांत क्षेत्र"** घोषित कर सकते हैं।
- **अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को दिए गए विशेष अधिकार:**
  - कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सशस्त्र बलों को **घातक हथियारों के उपयोग सहित बल प्रयोग का अधिकार** दिया गया है।
  - सशस्त्र बलों को **वारंट के बिना किसी की गिरफ्तारी और तलाशी लेने का अधिकार** दिया गया है।
  - केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना **सशस्त्र बल के किसी कर्मी के खिलाफ मुकदमा नहीं** चलाया जा सकता है।

अफस्पा को लेकर चिंताएं

- **मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप:** मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय संगठनों ने सुरक्षा बलों द्वारा कथित ज्यादतियों के लिए **अफस्पा कानून** की आलोचना की है।
- **शासन की विफलता:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि अफस्पा को लागू करना विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंभीर राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है।
- **कानून पर लोगों का विश्वास नहीं:** सैन्य कार्रवाइयों में पारदर्शिता नहीं होने की वजह से आम-जन के मन में सशस्त्र बलों की छवि ख़राब हुई है।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:

- अफस्पा कानून को निरस्त कर देना चाहिए।
- **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में संशोधन** करके इसमें विशेष रूप से **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अफस्पा के प्रावधान** शामिल कर देने चाहिए।

यूनेस्को ने 'एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल' रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में **शिक्षा और पोषण के बीच के आपसी संबंध** को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट **फ्रांस द्वारा आयोजित 'न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ' शिखर सम्मेलन** के अवसर पर प्रकाशित की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार पोषण और शिक्षा के बीच पूरक संबंध

- पोषण का शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए- समेकित बाल विकास योजना के कारण **सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9%** और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने **की दर 11% बढ़ी है।**
- बच्चों को स्कूल में भोजन दिए जाने से **नामांकन, उपस्थिति और सीखने पर सकारात्मक** प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए- **महाराष्ट्र राज्य में बायो-फोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोर/किशोरियों की एकाग्रता क्षमता एवं स्मरण शक्ति** में सुधार हुआ है।
- **पोषण का लैंगिक समानता और न्याय पर प्रभाव:** भारत में, **पीएम-पोषण (PM-POSHAN) कार्यक्रम ने बालिकाओं और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि** की है।
- **शिक्षा का पोषण पर प्रभाव:** अंतर-पीढ़ीगत और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए- शिक्षित माताओं की पसंद और व्यक्तिगत स्थिति स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करती है।

सिफारिशें:

- **पोषण शिक्षा में बदलाव:** बाल शिक्षा से लेकर वयस्क शिक्षा तक **स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा को शामिल** किया जाना चाहिए।
- **स्कूलों को प्रयासों के केंद्र में रखना:** एक **समग्र विद्यालय दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए, जिसमें **स्कूली भोजन, पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधियां और पाठ्येतर पहलें** आदि शामिल होनी चाहिए।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर क्षमता का निर्माण करना:** यह कदम सभी स्तरों पर ज्ञान एवं कौशल में मौजूद अंतराल को खत्म करने में मदद कर सकता है।
- **शिक्षा और पोषण के बीच संबंधों की निगरानी करना:** स्कूली भोजन एवं संबंधित स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों की निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) की कार्यावधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो गई

स्मार्ट सिटीज़ मिशन डेशबोर्ड के अनुसार, फरवरी 2025 तक शहरों ने **7,491 परियोजनाएं पूरी** कर ली हैं तथा **567 परियोजनाएं** अभी भी जारी हैं।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (2015) के बारे में

- **उद्देश्य:** 100 शहरों में **बेहतर सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **इसका कार्यान्वयन मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है:**
  - **क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) दृष्टिकोण:** इसके तहत सभी 100 शहरों ने लक्षित हस्तक्षेप के लिए शहर में एक निर्धारित क्षेत्र का चयन किया है। इन ABD क्षेत्रों को शहर के अन्य भागों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  - **पैन-सिटी परियोजनाएं:** इसमें **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान** शामिल हैं।
- **अन्य प्रमुख पहलू:**
  - कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करना;
  - परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण के अधिक-से-अधिक स्रोतों को बढ़ावा देना;
  - प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना और
  - नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन की अन्य प्रमुख पहलें और उपलब्धियां

- **एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCCs):** सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICCCs काम कर रहे हैं, जो तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं।
- **लोगों की सुरक्षा हेतु उपाय:** 100 स्मार्ट शहरों में 84,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो अपराध पर नजर रखने में मदद करते हैं।
- **जल आपूर्ति:** पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण के माध्यम से 17,026 किलोमीटर से अधिक जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जा रही है। इससे नॉन-रेवेन्यू वाटर और जल की बर्बादी में कमी आ रही है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** 60 से अधिक शहर प्रौद्योगिकी के उपयोग; अपशिष्ट संग्रह करने वाले वाहनों की GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग; अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता व दैनिक प्रबंधन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

समुद्री पक्षी (Pelagic birds)

एडम्स ब्रिज के रेतीले टीलों पर समुद्री पक्षियों की **प्रजनन कॉलोनियों** को देखा गया है।

- एडम ब्रिज भारत के **रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप** से जोड़ता है।

समुद्री पक्षी (Pelagic birds) के बारे में

- ये अपने **जीवन का अधिकांश भाग खुले समुद्र में बिताते** हैं।
- ये **समुद्र तट से हजारों मील दूर तक भी पाए** जा सकते हैं, लेकिन तेज़ हवाओं एवं तूफानों के दौरान तट पर आ सकते हैं।
- **उदाहरण:** ब्राउन नॉडी, ब्राइडल टर्न, सॉन्डर्स टर्न, लिटिल टर्न आदि।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **ये आकार में बहुत बड़े और बेहतर तैराक** होते हैं।
  - इनके **पंख बहुत लंबे और पतले** होते हैं, जो **उन्हें बिना विश्राम किए लंबे समय तक उड़ने की क्षमता प्रदान** करते हैं।
  - इनके पास एक **विशेष लवण ग्रंथि होती है, जो समुद्र के पानी से लवण हटाने** में मदद करती है। इसके चलते ये **समुद्री लवणीय जल भी पी** सकते हैं।
- **खतरे:** तेल का रिसाव, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण आदि।

भारत के पारंपरिक नववर्ष

भारत के अलग-अलग भागों में **विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए** जा रहे हैं।

चैत्र सुक्लादी

- यह **हिंदू नववर्ष की शुरुआत** का प्रतीक है, जो **चंद्र पंचांग (कैलेंडर)** पर आधारित है।
- उत्तर भारत में प्रचलित **विक्रम संवत भी चैत्र** से ही शुरू होता है।

उगादी

- **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष** के रूप में मनाया जाता है।
- "उगादी" शब्द **"युग" (काल) और "आदि" (शुरुआत)** से मिलकर बना है।

गुड़ी पड़वा

- मुख्य रूप से **महाराष्ट्र, गोवा** आदि में मनाया जाता है।

चेटी चंड

- यह **सिंधी** समुदाय के लिए **नए साल की शुरुआत** का प्रतीक है।
- इसे **"झूलेलाल जयंती"** भी कहा जाता है, जो सिंधी का धार्मिक पर्व है।

साजिबू चेइराओबा

- **साजिबू नोंग्मा पनबा चेइराओबा मेइतेइ** नव वर्ष का प्रतीक है। यह मणिपुर में मनाया जाता है।
- यह **साजिबू माह (मार्च/ अप्रैल) के प्रथम चंद्र दिवस** पर आता है।

सॉइल लिक्विफिकेशन

भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई है।

सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में

- यह एक ऐसी परिघटना है, जिसमें मृदा का खंड ठोस की बजाय तरल की तरह व्यवहार करने लगता है।
- यह तब होता है, जब सतह के नजदीक असंगठित और जल-संतृप्त मृदा तीव्र भूकंपीय झटकों के कारण अपनी मजबूती खो देती है।
- यदि यह लिक्विफिकेशन इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे होता है तो भारी नुकसान हो सकता है।

फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर

फंडिंग के अधिकतर हिस्से का उपयोग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर परियोजना हेतु किया जा रहा है। इससे अन्य वैकल्पिक अनुसंधान क्षेत्रों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं।

फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर के बारे में

- यह सर्न स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) से संबंधित अग्रगामी परियोजना है।
  - यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सर्न/ CERN) विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है, जो ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने के प्रति समर्पित है।
- फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर के वैज्ञानिक उद्देश्य
  - LHC जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया उनके उत्तर खोजना: जैसे बिग बैंग में हिग्स बोसोन की क्या भूमिका थी?
  - स्टैंडर्ड मॉडल से परे अन्वेषण: LHC अभी तक हिग्स बोसोन के अलावा नए मौलिक कणों (Elementary particles) का पता नहीं लगा सका है।

एस्बेस्टस

सरकार ने नवोदय विद्यालयों में एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया।

एस्बेस्टस के बारे में

- एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। इसके रेशे ताप और संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं।
- इसका उपयोग इन्सुलेशन एवं ऑटोमोटिव पार्ट्स, निर्माण सामग्री, तथा फर्श व छत की टाइल्स आदि बनाने में किया जाता है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: इससे कैंसर व एस्बेस्टॉसिस हो सकता है और यह 65 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है।
- प्रमुख उत्पादक देश: रूस, ब्राजील, कजाकिस्तान और चीन।

INIOCHOS-25

भारतीय वायुसेना ग्रीस में होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास INIOCHOS-25 में भाग लेगी।

INIOCHOS-25 के बारे में

- यह ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं को अपना कौशल बढ़ाने, सामरिक ज्ञान साझा करने और सैन्य संबंध मजबूत करने का अवसर देना है।

सरहुल महोत्सव

झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है।

सरहुल महोत्सव के बारे में

- यह महोत्सव झारखंड की उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है।
- सरहुल का शाब्दिक अर्थ है "साल वृक्ष की पूजा"। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है।
- साल के वृक्ष को "सरना मां" का निवास स्थान माना जाता है। सरना गांव की प्राकृतिक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी हैं।
- यह त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। यह सूर्य एवं पृथ्वी के प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होने पर आधारित है।
- यह त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने (चैत्र) के तीसरे दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।
- यह बसंत ऋतु (फागुन) के आगमन का प्रतीक है।

एंडीज पर्वत

एक अध्ययन के अनुसार एंडीज पर्वत के ग्लेशियरों के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है।

एंडीज पर्वत के बारे में

- प्रकार: यह एक वलित पर्वत है। इसका निर्माण महासागरीय नाज़का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने से हुआ है।
- लंबाई: इसकी लंबाई लगभग 4,500 मील है और यह 7 दक्षिण अमेरिकी देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है।
- सबसे ऊंची चोटी: अकोंकागुआ (6960 मीटर)।
- ज्वालामुखी: ओजोस डेल सालाडो (सुप्त), कोटोपैक्सी ज्वालामुखी (सक्रिय) आदि।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: माचू पिच्चू।
- यहां का अल्टीप्लेनो पठार, तिब्बती पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

टोंगा (राजधानी: नुकु'आलोफ़ा)

टोंगा के नजदीक 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

टोंगा के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति
  - अवस्थिति: यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।
  - टोंगा लगभग 170 द्वीपों से मिलकर बना है, जो 3 मुख्य द्वीप समूहों में विभाजित है-
    - टोंगाटापु- दक्षिण में;
    - हाआपाई- मध्य में; तथा
    - वावाऊ-उत्तर में।
  - सदस्यता: टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।
- भौगोलिक विशेषताएं
  - सबसे ऊंची चोटी: हापाई समूह में काओ द्वीप।
  - जलवायु: इसके उत्तरी द्वीपों में उष्णकटिबंधीय तथा शेष द्वीपों पर अर्द्ध-उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
  - टोंगा में एक भी नदी नहीं है।